न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 88/21 (वि.प्रा.पत्र)

GCMS NO. :- 2021/837

अनवान

1. श्री मोहनसिंह पिता रोडसिंह जी राजपूत, निवासी भीण्डर, तह. भीण्डर, जिला उदयपुर राज0।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. श्री नारायणसिंह पिता जसवन्तसिंह राजपूत निवासी, धीर जी का खेडा तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़ (राज0)।
2. श्री भगवतसिंह पिता मदनसिंह राजपूत, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज0)।
3. श्री विष्णुसिंह पिता मदनसिंह राजपूत, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज0)।
4. श्री प्रेमसिंह पिता मदनसिंह राजपूत, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज0)।
5. श्री गणपतसिंह पिता मदनसिंह राजपूत, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज0)।
6. श्री इश्तियाक मोहम्मद पिता न्याज मोहम्मद शेख निवासी नायकवाडी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।
7. श्री रामचन्द्र पिता प्यारा जी मेघवाल निवासी नायकवाडी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।
8. श्री छगनलाल पिता किस्तुरचन्द जी नागदा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।
9. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।

.....विपक्षीगण

अधिवक्ता उपस्थित 1. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री कैलाश चन्द्र चौबीसा, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:13 IST
Reason: SelfAttested

—: : निर्णय : : दिनांक 25.08.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अ.1956 के तहत् किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भीण्डर, पटवार हल्का भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र भीण्डर, तहसील भीण्डर में खाता संख्या 1363 खसरा नम्बर 5267 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8145 रकबा 0.5000 हैक्टेयर,

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 8439 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8440 रकबा 0.0400 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.6900 हैक्टेयर स्थित होकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से अंकित है। विपक्षीगण उक्त भूमि के पडौसी है। विपक्षीगण प्रार्थी की उपरोक्त आराजीयात में बाड, पेड, फसल, घास आदि को नुकसान पहुंचातें है जिससे पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 6, 7 उपस्थित होकर जवाब नहीं देना चाहा। विपक्षी संख्या 6, 7 का अवसर बंद किया जा चुका है। विपक्षी संख्या 2, 4 व 5 की तरफ से जवाब पेश नहीं करना चाहा। विपक्षी संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री केलाश चन्द्र चौबीसा द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जिस आराजी पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है वो प्रार्थी व विपक्षी नारायणसिंह व मदनसिंह की संयुक्त खातेदारी की होकर प्रत्यक का 1/3, 1/3 हिस्सा है। उपरोक्त आराजीयात से संबंधित विभाजन का दावा न्यायालय उपजिला कलक्टर वल्लभनगर में पेश किया गया था जिसके प्रकरण संख्या 89/2007 वाद है जिसमें न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई। उक्त डिक्री विपक्षी नारायणसिंह के विरूद्ध गलत तामिल से एक तरफा कार्यवाही के तहत पारित की गई जिसे निरस्त कराने बाबत् एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. का न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके प्रकरण संख्या 49/22 है। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक पत्थरगढ़ी का आदेश नहीं दिया जा सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ोसी है। विपक्षी नारायणसिंह द्वारा पूर्व में जारी डिक्री प्रकरण संख्या 89/2007 को निरस्त किये जाने बाबत् एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में [illegible] विचाराधीन है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज [illegible] आराजीयात में पत्थरगढ़ी करवाना चाहता [illegible] नाग्रस्त [illegible] सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद [illegible] विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं हाने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

—: : आदेश : :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर, पटवार हल्का भीण्डर भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र भीण्डर, तहसील भीण्डर में खाता संख्या 1363 खसरा नम्बर 5267 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8145 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8439 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8440 रकबा 0.0400 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.6900 हैक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। उक्त पत्थरगढ़ी कब्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है कब्जे प्राप्त करने के लिए अलग से कार्यवाही करें। अगर भू—प्रबंधन के बाद जमाबंदी/खसरा नम्बर या मौके की तरमीम में कोई परिवर्तन हो तो तहसीलदार खाता शुद्धि के बाद पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 500/— पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner